

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 61/2025

उनवान

वादी

प्रतिवादीगण

1. अयूब पुत्र सकूर जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर।

1. काबल पुत्र हमीर
2. खतिया पत्नी हमीर
3. जेनब पत्नी मलार
4. जिनत पत्नी ताजू
5. ताजू पुत्र हमीर
6. मलार पुत्र हमीर जातियान मुसलमान निवासीयान कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर।
7. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 61/2025

दिनांक :- 23.01.2026

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार के खसरा संख्या 143 रकबा 8.8383 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि आयी हुई है जिसमें हिरसे खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 12.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राप्तिगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामीली के उपरान्त भी विप्राप्तिगण अनुपस्थित रहे। जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर भूमिधारी (तहसीलदार) रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। भूमिधारी (तहसीलदार) रामसर के पत्रांक /भू.अ./2026/147 दिनांक 20.01.2026 द्वारा दिनांक 20.01.2026 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार के खसरा संख्या 143 रकबा 8.8383 हेक्टर, भूमि में संलग्न तहसीलदार रामसर विभाजन एवं नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिरसे की भूमि को निम्नानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

क.स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टर	लगान	वंग
1	अयुब पुत्र सकूर जाति मुसलमान सा.देह खातेदार रहन पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक गागरिया।	143	2.9461	0.80	लाल
2	काबल पुत्र हमीर 1/8 खतिया पत्नी हमीर 1/8 ताजू पुत्र हमीर 1/8 मलार पुत्र हमीर 1/8 जेनब पत्नी मलार 1/4 जिनत पत्नी ताजू 1/4 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	43	5.8922	1.59	हरा

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उपर अंकित विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार विभाजन मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिगरी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



क्रमांक : शीडर/2026/31-33

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. वादी अयूब पुत्र सकूर जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर।
3. प्रतिवादीगण काबल पुत्र हमीर वगैरह।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
रामसर
दिनांक : 23/01/2026

(SDO) रामसर

डिकरी व मुकदमे इन्वोदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बगुकाम रामसर
बइजलास श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या -46/2016
उनवान
प्रतिवादी

वादी

1. अयूब पुत्र सकूर जाति मुसलमान
निवासी कंटल का पार तहसील
रामसर जिला बाडमेर।

बनाम

1. काबल पुत्र हमीर
2. खतिया पत्नी हमीर
3. जेनब पत्नी मलार
4. जिनत पत्नी ताजु
5. ताजू पुत्र हमीर
6. मलार पुत्र हमीर जातियान
मुसलमान निवासीयान कंटल का
पार तहसील रामसर जिला बाडमेर।
7. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 61/2025

दिनांक :-

यह मुकदमात आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादी श्री महेन्द्रसिंह सोढा वकील मिनजानिव
मुददाई मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है:-वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा
अछिया खडीन पटवार मण्डल कंटल का पार के खसरा संख्या 143 रकबा 8.8383 हेक्टर कुल खसरा 01 कुल रकबा 8.8383
हेक्टर में तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित संलग्न नक्शे अनुसार निर्णय दिनांक 23.01.2026 द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस
विभाजन किया जाता है। तहसीलदार रामसर को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

बीज.....

मुबलीग.....

बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.....फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।
बसकामे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.01.2026 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)

मुददाई	रुपया	पै.	मुददयलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजाना		

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)